



2026:AHC:66959

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या- 916 वर्ष 2026

एक्स किशोर पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिपक्षी

पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता: अमित कुमार सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 84

माननीय न्यायमूर्ति श्री जय प्रकाश तिवारी

राज्य की ओर से पेश हुए अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा अनुपालन हलफनामा दायर किया गया है। इसे अभिलेखों पर लिया जाता है।

अनुपालन हलफनामे के अवलोकन से, यह पता चलता है कि सूचनाकर्ता को नोटिस दिया गया है, लेकिन उसकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता को सुना, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता और अभिलेखों का अवलोकन किया।

प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण दिनांक 18.11.2025 को किशोर आपराधिक अपील संख्या- 181 वर्ष 2025 (अपराधी किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) न्यायालय संख्या-1 गोरखपुर द्वारा पारित आदेश और किशोर न्याय बोर्ड, गोरखपुर द्वारा केस संख्या-245 वर्ष 2025 में पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जो कि धारा 137 (2), 87, 65(1) बी.एन.एस. और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत थाना-सिकारीगंज जिला गोरखपुर के तहत पारित किया गया है।

पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) माना जाता है कि आवेदक कथित घटना की तारीख को लगभग 16 वर्ष का किशोर था; वह 09.06.2025 से अवलोकन गृह में है;

(ii) आवेदक को झूठा फंसाया गया है;

(iii) डी.पी.ओ. रिपोर्ट में सामान्य और अस्पष्ट टिप्पणियों के अलावा कोई विशिष्ट या मजबूत आपत्ति नहीं उठाई गई है;

(iv) आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है;

(v) मुकदमे के शीघ्र समापन की कोई आशा नहीं है;

(vi) मुकदमे के दौरान दर्ज की गई पीड़िता के बयान, जिसमें उसे अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन नहीं किया गया था;

(vii) पुनरीक्षणकर्ता को बाल पर्यवेक्षण गृह में अनावश्यक रूप से लंबे समय तक सीमित रखा गया है;

(viii) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 12 के अंतर्गत आवेदक को जमानत देने से इंकार करने के लिए कोई भी आधार उपलब्ध नहीं है।

(ix) इसलिए, आक्षेपित आदेशों को गलत और कानून के विपरीत माना गया है।

राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण का पुरजोर विरोध किया। यह प्रस्तुत किया जाता है, रिपोर्ट की गई घटना सच है और यह कहना गलत है कि आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं, और प्रेरित हैं। साथ ही, जमानत अस्वीकृति आदेशों में दर्ज निष्कर्षों पर भरोसा किया गया है कि प्रस्तुत पुनरीक्षण को खारिज किया जा सकता है।

यह विवाद में नहीं है कि आवेदक किशोर है और अधिनियम के प्रावधानों के लाभों का हकदार है। अधिनियम की धारा 12 के तहत, एक किशोर की जमानत के लिए प्रार्थना को खारिज कर दिया जा सकता है 'यदि यह मानने के लिए उचित आधार दिखाई देते हैं कि किशोर की रिहाई से उसे किसी ज्ञात अपराधी के साथ संबंध बनाने या उसे नैतिक,



शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डालने की संभावना है या उसकी रिहाई न्याय के उद्देश्य को हरा देगी।

न्यायालय को यह देखना होगा कि अपीलीय न्यायालय के साथ-साथ किशोर न्याय बोर्ड की राय आक्षेपित निर्णय और आदेशों में दर्ज की गई है या नहीं। अधिनियम की धारा 12 तीन आकस्मिकताओं को निर्धारित करती है जिसमें किशोर अपराधी को ज़मानत देने से इनकार किया जा सकता है। ये हैं:-

- (i) यदि रिहाई से उसे किसी ज्ञात अपराधी के साथ संबंध बनाने की संभावना है, या
- (ii) उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डालना, या
- (iii) कि उसकी रिहाई न्याय के लक्ष्यों को पराजित करेगी?

इस प्रकार, यह काफी हद तक निर्विवाद है कि आवेदक - घटना की तारीख को किशोर था; डी.पी.ओ. की टिप्पणियों के आलोक में, आपराधिक प्रवृत्ति या आपराधिक मनोविज्ञान से ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है; इसका आपराधिक इतिहास नहीं है; अनावश्यक रूप से लंबे समय तक कारावास में रहा है, जितना कि अधिनियम द्वारा विचारित समय सीमा के भीतर मुकदमा समाप्त नहीं हुआ है। अन्यथा भी, अधिनियम की धारा 12 में उल्लिखित कोई कारक या परिस्थिति मौजूद नहीं है जो इस स्तर पर आवेदक को ज़मानत देने के लिए अयोग्य ठहरा सकती है। आवेदक के पिता अधिनियम की धारा 12 में व्यक्त की गई वैधानिक चिंताओं को संबोधित करने का वचन देते हैं, क्योंकि आवेदक की रिहाई पर उसकी सुरक्षा और भलाई के बारे में पता चलता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि अवर न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष ज़मानत देने के उद्देश्य से कानून में स्थापित सिद्धांत के विपरीत हैं और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत हैं। नतीजतन, उन आदेशों को कायम नहीं रखा जा सकता है। दिनांक आक्षेपित आदेश को इसके द्वारा **रद्द/अपास्त** किया जाता है।

ऊपर की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण की **अनुमति** दी जाती है। उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल पुनरीक्षणकर्ता- एक्स



किशोर, श्रीराम को ज़मानत पर रिहा किया जाए, 20,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके पर समान राशि के दो ज़मानतदारों के साथ, निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए:

- (i) पुनरीक्षणकर्ता सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा या गवाहों को धमकी नहीं देगा;
- (ii) अभिभावक के माध्यम से पुनरीक्षणकर्ता इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह अदालत में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर किसी भी स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त के चूक के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे ज़मानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में मानेगा और कानून के अनुसार आदेश पारित करेगा;
- (iii) अभिभावक के माध्यम से पुनरीक्षणकर्ता व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, यदि कोई पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-क / बी.एन.एस.एस. की धारा 269 के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वे एक सप्ताह के भीतर संबंधित बाल पर्यवेक्षण गृह को आदेश की सूचना दें।

मार्च 31, 2026

एस.के.

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)